मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ10–05 / 2014 / सत्रह / मेडि–2, भोपाल, दिनांक 28/5/14

प्रति,

.1 समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्याप्रदेश ।

.2 समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश।

.3 समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

.4 समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

.5 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– एसिड हमले की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने तथा इन घटनाओं के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने बाबत्।

संदर्भ :–.1 इस विभाग का परिपत्र क्रमाक एफ 10–05 / 2014 / सत्रह / मेडि–2 दिनांक 16 जनवरी, 2014

.2 संबंधित विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2013 को दिये गये निर्देश।

–0–

उपरोक्त विषय पर प्रशासकीय विभाग द्वारा संदर्भित परिपत्र दिनांक 16.01.2014 के माध्यम से रिट–पिटीशन क्रमांक–129 / 2006 लक्ष्मी विरूद्व भारत सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2013 को पारित आदेश के पालन में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका कृपया अवलोकन करें। इस रिट–पिटीशन की सुनवाई दिनांक 03.12.2013 को नियत थी जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य शासन को निर्देशित किया गया है कि सभी पुलिस थानों को निर्देशित किया जावें कि जब कभी एसिड हमले से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पुलिस थाने में दर्ज हो तो पुलिस थाने द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की सूचना संबंधित क्षेत्र के सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेड(एसडीएम) को दी जावें। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर संबंधित एस0डी0एम0 द्वारा अपराधी द्वारा एसिड प्राप्ती के संबंध में जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे।

निरंतर.....2......

[redacted]

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 03.12.2013 के परिप्रेक्ष्य निर्देशित किया जाता है कि समस्त कलेक्टरों एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपने जिले के समस्त एस0डी0एम0 / समस्त पुलिस थानों को माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों की जानकारी देते हुए अपेक्षित कार्यवाही करेंगे ।

हस्ता/-
(प्रवीर कृष्ण)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ10-05/2014/सत्रह/मेडि-2, भोपाल, दिनांक 28/5/14
प्रतिलिपि :-

.1 सचिव, महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल।
.2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
.3 निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश भोपाल।
.4 सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मत्रालय, भोपाल।
.5 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग।
.6 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
.7 पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के पालन के संबंध में अपने स्तर से भी समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
.8 आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल ।
.9 आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल।
10 परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, मध्यप्रदेश भोपाल।
11 प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12 समस्त संभागीय, संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
13 समस्त अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), मध्यप्रदेश की ओर अग्रेषित कर निर्देशित कया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

28/5/14
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग